17.03.20 दिनांक 16.03.2020 को शीतला सप्तमी का अवकाश होने से पत्रावली आज पेश हुई। वादी एवं वकील वादी अनुपस्थित। रूक-रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई। बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं। इससे यह प्रतीत होता है कि वादी एवं वकील वादी अपने दावे को लेकर गंभीर नहीं है अतः दावा अदम पैरवी अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) (जालोर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.06.23 11:21:33 IST
Reason: SelfAttested